जवाहर कला केन्द्र, जयपुर

जवाहर कला केन्द्र, जे.एल.एन.मार्ग जयपुर–302004

बोली दस्तावेज

केन्द्र के पावर हाउस स्थित स्थापित 250 के.वी.ए. कोयल मेक, डी.जी. सेट मय कन्ट्रोल सिस्टम/ए.एम.एफ पैनल से संबंधित उपकरणों का कॉम्प्रेहेंसिव वार्षिक अनुरक्षण एवं रखरखाव कार्य।

बोली सूचना संख्या /2025–26

खुली निविदा सूचना संख्या /2025–26

क्रमांक : प.14 (17)जकके/विधुत/250 के.वी.ए. जनरेटर/2025–26/ 573 दिनांकः 14/7/25

केन्द्र के पावर हाउस स्थित स्थापित 250 के.वी.ए. कोयल मेक, डी.जी. सेट मय कन्ट्रोल सिस्टम/ए.एम.एफ पैनल से संबंधित उपकरणों का कॉम्प्रेहेंसिव वार्षिक अनुरक्षण एवं रखरखाव कार्य हेतु व्यवहारियों से द्वि लिफाफा पद्धति में मोहरबंद सीमित बोली आमंत्रित की जाती है।

क्र.सं.	बोली संख्या	/2024–25
1	उपापन अधिकारी	महानिदेशक
2	बोली का संक्षिप्त विवरण	केन्द्र के पावर हाउस स्थित स्थापित 250 के.वी.ए. कोयल मेक, डी. जी. सेट मय कन्ट्रोल सिस्टम/ए.एम.एफ पैनल से संबंधित उपकरणों का कॉम्प्रेहेंसिव वार्षिक अनुरक्षण एवं रखरखाव कार्य।
3	बोली की अनुमानित लागत	रूपये 4.30 लाख। (मय जी.एस.टी.)
4	बोली का प्रकार	खुली बोली द्वारा दर अनुबंध
5	बोली विक्रय (Download) प्रारंभ करने की दिनांक एवं समय	दिनांक 14.07.2025 अपरान्ह 02.00 बजे से 23.7.2025 तक (Can be downloaded from http://sppp.raj.nic.in) (JKK@rajasthan.gov.in)
6	बोली प्रस्तुत करने की अंतिम दिनांक	दिनांक 23.07.2025 अपरान्ह 2.00 बजे
7	बोली प्रपत्र की कीमत	रूपये 200/– डी.डी./बैंकर्स चैक अतिरिक्त महानिदेशक, जवाहर कला केन्द्र, जयपुर के नाम से देय होगा। इसे बोली प्रपत्र के साथ संलग्न कर जमा करना अनिवार्य है।
8	बोली प्रतिभूति (Bid Security)	लागत राशि का 2 प्रतिशत राशि रूपये 8600/– डी.डी./बैंकर्स चैक/एफ.डी.आर अतिरिक्त महानिदेशक, जवाहर कला केन्द्र, जयपुर के नाम से देय होगा। इसे बोली प्रपत्र के साथ संलग्न कर जमा करना अनिवार्य है।
9	वित्तीय निविदा खोलने की दिनांक व समय	दिनांक 23.07.2025 अपरान्ह 3.00 बजे
10	बोली जमा कराने/खोलने का स्थान :–	जवाहर कला केन्द्र, जयपुर। जे.एल.एन.मार्ग जयपुर–302004
11	बोली की वैद्यता अवधि	बोली जमा कराने की तिथि से 90 दिवस
12	कार्य अवधि	कार्य आदेश दिये जाने से 2 वर्ष तक
13	बोली हेतु अधिकृत अधिकारी	अतिरिक्त महानिदेशक, जवाहर कला केन्द्र, जयपुर।

1. बोली दाता, बोली दस्तावेज में उल्लेखित निर्धारित समयावधि में जवाहर कला केन्द्र, जयपुर के स्टोर अनुभाग से बोली शुल्क जमा करवाकर बोली प्रपत्र प्राप्त कर सकते है, या स्वयं जवाहर कला केन्द्र की वेबसाइट से डाउनलोड करने की स्थिति में बोली शुल्क जरिये डिमाण्ड ड्राफ्ट (अतिरिक्त महानिदेशक, जवाहर कला केन्द्र, जयपुर) जमा कराना होगा। बोली शुल्क व बोली प्रतिभूति राशि के अभाव में बोली दाता को तकनीकी रूप से असफल माना जायेगा व उनकी वित्तीय बोली स्वीकार नही की जायेगी। उक्त कार्य के संबंध में किसी प्रकार की सूचना एवं स्पष्टीकरण हेतु किसी भी कार्य दिवस में इस कार्यालय में सम्पर्क किया जा सकता है।
2. बोली प्रस्ताव पूर्ण रुप से भरा हुआ मय हस्ताक्षर एवं संलग्नों के साथ उपरोक्तानुसार निर्धारित तिथि तक इस कार्यालय के सहायक अभियन्ता के कक्ष में रखे सीलबंद बॉक्स में निर्धारित समय एवं तिथि पर जमा करावें। निर्धारित तिथि एवं समय के पश्चात् प्राप्त बिड बिना किसी विचार के निरस्त कर दी जावेगी। बोली प्राप्त होने में हुई देरी के लिये विभाग किसी भी प्रकार से जिम्मेदार नहीं होगा।

अतिरिक्त महानिदेशक
जवाहर कला केन्द्र, जयपुर

भाग –1

बोली की मुख्य शर्ते

Important Instructios: The Law relating to procurement "The Rajasthan Transparency in Public Procurement Act. 2012" (hereinafter called the Act) and the "Rajasthan Transparency Public Procurement Rules, 2013" (hereinafter called the Rules) under the said Act have come into force which is available on the website of Sate Public Procurement Portal http://sppp.rajasthan.ov.in Therefore, the Bidders are advised to acquaint themselves with the provisions of the Act and the Rules before participating in the bidding process. If there is any discrepancy between the provisions of the Act and the Rules and this Bidding Document, the provisions of the Act and the Rules shall prevail.

1. **शुल्क :–**

i. बोली प्रपत्र शुल्क एवं बोली प्रतिभूति राशि पृथक–पृथक रूपये 200/– डी.डी./बैंकर्स चैक अतिरिक्त महानिदेशक, जवाहर कला केन्द्र, जयपुर के नाम से देय होगा। इसे बोली प्रपत्र के साथ संलग्न कर जमा करना अनिवार्य है।

ii. इसके अभाव में बोली निरस्त कर दी जावेगी। बोली प्रपत्र शुल्क किसी भी परिस्थिति में नही लौटाया जायेगा।

iii. शुल्क का विवरण निम्नानुसार है:–

शुल्क का विवरण	बोली शुल्क की राशि	विवरण
बोली प्रपत्र का शुल्क	200/–	
बोली प्रतिभूति राशि	8,600/–	

2. **पात्रता :– (i)** आमंत्रित बोली में प्रस्तुत विवरण के अनुसार केन्द्र के पावर हाउस स्थित स्थापित 250 के.वी.ए. कोयल मेक, डी.जी. सेट मय कन्ट्रोल सिस्टम/ए.एम.एफ पैनल से संबंधित उपकरणों का कॉम्प्रेहेंसिव वार्षिक अनुरक्षण एवं रखरखाव कार्य। के संबंध में किसी राजकीय विभाग/राजकीय उपकमों में गत तीन वित्तीय वर्षों यथा 2021–22, 2022–23 व 2023–24 में एक कार्यादेश के अन्तर्गत कुल राशि रूपये 05.00 लाख का कार्य का अनुभव होना आवश्यक है। इस हेतु संबंधित विभाग द्वारा प्रमाण स्वरूप कार्य पूर्णता का संतोष जनक प्रमाण पत्र/कार्यादेश के साथ/भुगतान स्वीकृति आदेश की प्रति बोली प्रपत्र के साथ प्रस्तुत करने होगें।

(ii) आमंत्रित बोली में प्रस्तुत विवरण के संबंध में बोलीदाता फर्म का गत तीन वित्तीय वर्षों यथा 2021–22, 2022–23 व 2023–24 में औसत वार्षिक टर्न ऑवर राशि रूपये 12.00 लाख होना आवश्यक है। जिसके प्रमाण पत्र स्वरूप फर्म को चार्टड अकाउन्टेंट द्वारा प्रमाणित (सी.ए. के पंजीयन संख्या एवं सील अंकित करते हुऐ) प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

3. **दस्तावेज:–**

i. बोली के साथ बोलीदाता द्वारा वैद्य जी.एस.टी. पंजीयन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

ii. बोली के साथ पेन कार्ड की प्रति प्रस्तुत करनी होगी।

iii. बोली के साथ प्रस्तुत किये जाने वाले सभी वांछित दस्तावेज/प्रमाण पत्र बोली जमा कराने की अन्तिम तिथि तक वैद्य होना चाहिए। सभी दस्तावेज तकनीकी बोली प्रपत्र में सील बंद करके एवं वित्तीय बोली दरे भरकर पृथक लिफाफे में जमा करवानी है।

iv. बोली के साथ प्रस्तुत किये जाने वाले समस्त दस्तावेजों की पृष्ठ संख्या अंकित किया जाना आवश्यक है।

v. निविदा प्रपत्र के सभी पृष्ठों पर बोलीदाता फर्म का सत्यापन किया जाना आवश्यक है।

vi. बोलीदाता द्वारा बोली की शर्तो को स्वीकार करने के प्रमाण स्वरूप इससे संबंधित परिशिष्ट सत्यापित कर निविदा के साथ प्रस्तुत करने होगे। यदि किसी बोलीदाता ने सशर्त बोली प्रस्तुत की है तो उसकी बोली निरस्त कर दी जायेगी।

5. **वैद्यता :–** बोली की वैद्यता अवधि वित्तीय निविदा खुलने की तिथि से 90 दिन तक मान्य होगी। बोली की वैद्यता अवधि में नियमानुसार एवं आवश्यकता होने पर वृद्धि की जा सकेगी।

6. **बोली हेतु स्पष्टीकरण :–** उक्त कार्य के संबंध में किसी प्रकार की सूचना एवं स्पष्टीकरण हेतु किसी भी कार्य दिवस में बोली जमा कराने की अन्तिम तिथि से पूर्व इस कार्यालय में सम्पर्क किया जा सकता है अथवा लिखित में दिया जा सकता है। स्पष्टीकरणों के लिए समस्त अनुरोध व उनके जवाब समस्त बोली लगाने वालों को सूचित किये जायेगें एवं आवश्यक होने पर राज्य लोक उपापन पोर्टल में प्रकाशित किये जायेगें।

7. **बोली की प्रस्तुतीकरण की अन्तिम तिथि :–** बोली आमन्त्रण सूचना में विनिर्दिष्ट समय एवं तिथि के पश्चात् प्राप्त बोली को स्वीकार नहीं किया जायेगा।

8. **बोलियों का खोला जाना :–** निर्धारित तिथि पर तकनीकी व वित्तीय बोली बोलीदाताओं या उनके प्राधिकृत व्यक्ति की उपस्थिति उपापन समिति के द्वारा खोली जाएगी।

9. **बोली दस्तावेजों में परिवर्तन :–** बोली प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि से पूर्व उपापन संस्था द्वारा शुद्धि–पत्र जारी कर बोली दस्तावेजों में नियमानुसार परिवर्तन किया जा सकता है। बोली दस्तावेज इसके लिए उपापन में यदि कोई परिवर्तन किया जाता है तो इसकी सूचना प्रसारित की जायेगी व संस्था द्वारा बोलीदाताओं को बोली प्रस्तुत करने/संशोधन के लिए पर्याप्त समय दिया जायेगा।

10. **बोलियों का मूल्यांकन :–** वित्तीय बोली का मूल्यांकन अथवा सफल निविदादाता का निर्धारण न्यूनतम बोली अथवा सबसे लाभप्रद बोली के आधार पर किया जायेगा। न्यूनतम निविदादाता का निर्धारण हेतु मापदण्ड वित्तीय बोली में अंकित किये गये हैं।

11. **सामान्य सूचना :–**

i. यदि कोई बोलीदाता माल/सामग्री/उपकरण की आपूर्ति करने एवं निविदा की शर्तों के अनुसार सेवाएं देने में असफल रहता है या आंशिक सप्लाई करता है और उसकी सम्पूर्ण बोली प्रतिभूति या सम्पूर्ण कार्य सम्पादन प्रतिभूति या यथा स्थिति, उसका कोई भी प्रतिस्थापन किसी उपापन संस्था द्वारा किसी भी प्रक्रिया या उपापन संविदा में समपहृत किया गया है तो बोली लगाने वाले को उपापन संस्था द्वारा हाथ में ली जाने वाली किसी भी उपापन प्रक्रिया में भाग लेने से, तीन वर्ष से अनधिक की कालावधि के लिए विवर्जित किया जा सकेगा।

ii. विस्तृत शर्तो को जानने के लिए विभागीय बोली **परिशिष्ट – अ, ब, स, तथा annexure A, B, C, D** का सावधानी पूर्वक अध्ययन किया जा सकता है।

iii. बोलीदाता फर्म द्वारा मजबूत एवं पुष्ट आधार प्रस्तुत करने पर उपापन सस्था द्वारा प्रकरण विशेष में गुणावगुण के आधार पर उचित समझने पर अथवा किसी प्रक्रियात्मक त्रुटि के कारण प्रतिस्पर्धा बाधित होनी पाए जाने पर बोलीदाता से वांछित दस्तावेज एवं स्पष्टीकरण लिया जा सकता है।

iv. उपापन संस्था किसी भी बोली अथवा उसके भाग को किसी भी स्तर पर बिना कारण बताये अस्वीकार अथवा निरस्त कर सकती है।

v. सम्पूर्ण बोली प्रक्रिया पर राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम–2012 एवं राजस्थान लोक उपापन मे पारदर्शिता नियम–2013 तथा सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम एवं बोली दस्तावेज की शर्ते/प्रावधान लागू होंगे।

12. सामग्री/उपकरण निम्न गुणवत्ता अथवा स्पेसिफिकेशन के अनुरूप नहीं होने पर उस सामग्री/उपकरण को उपापन संस्था नियमानुसार अन्य निविदादाता से क्रय के लिए निर्णय हेतु सक्षम होगी एवं क्रय के लिए निविदत राशि एवं क्रय की गई सामग्री की अन्तर राशि संबंधित फर्म से नियमानुसार वसूल की जावेगी।

13. परिशिष्ट **'स'** में वर्णित तकनीकी मापदण्ड अनुसार कार्यालय आदेश की तिथि से 2 वर्ष में कार्य जवाहर कला केन्द्र, जयपुर द्वारा निर्देशित स्थान पर करना होगा।

सफल बोलीदाता/फर्म को अपना इंजीनियर/तकनीकी कर्मचारी/प्रतिनिधि को भिजवाकर केन्द्र के पावर हाउस स्थित स्थापित 250 के.वी.ए. कोयल मेक, डी.जी. सेट मय कन्ट्रोल सिस्टम/ए.एम.एफ पैनल से संबंधित उपकरणों का कॉम्प्रेहेंसिव वार्षिक अनुरक्षण एवं रखरखाव का कार्य जवाहर कला केन्द्र, जयपुर में किया जाना होगा।

14. बोलीदाता द्वारा दर परिशिष्ट 'स' में भरी जायेंगी न्यूनतम दर के तुलना अनुसार सफल बोलीदाता का निर्धारण किया जायेगा।

15. बोलीदाता द्वारा सम्पूर्ण निविदा/बोली का ध्यान पूर्वक अध्ययन करने के बाद समस्त प्रपत्रों/परिशिष्ठों/ अनुलग्नकों को पूर्ण रूप से भरकर ही बोली प्रस्तुत की जावें।

16. लिफाफे पर निविदा का नाम, विभाग का नाम एवं बोलीदाता फर्म का नाम, पता एवं मोवाईल नम्वर अंकित करना अनिवार्य है। बोली प्रपत्र में निर्देशित एवं वांछित किये गये दस्तावेज डालकर मोहरबन्द करते हुए बोली प्रस्तुत करें।

17. प्राप्त बोलियों की वित्तीय बोली को खोला जावेगा एवं स्पेसिफिकेशन, नियम व शर्तों तथा संलग्न दस्तावेजो के अनुसार मूल्यांकन किया जावेगा।

18. निविदा से संबंधित सभी आवश्यक दस्तावेजों तथा बोली के समस्त प्रपत्रों की पूर्ति कर (पूर्ण रूप से भरकर) प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर (सील सहित) संलग्न किया जाना आवश्यक है।

19. फर्म को किसी भी विभाग में ब्लैक लिस्ट ना होने का शपथ–पत्र निविदा मे प्रस्तुत करना होगा।

20. बोली में अनावश्यक दस्तावेज संलग्न नहीं किये जाये। निविदा में चाहे गये दस्तावेज सुव्यवस्थित रूप से पृष्ठांकन करते हुए व बिड के प्रारम्भ में इंडेक्स बनाकर प्रस्तुत किये जाये।

21. उपरोक्तांकित शर्तों एवं विभागीय बोली **परिशिष्ठ–अ, ब, स** तथा annexure A, B, C, D में उल्लेखित शर्तों के विपरीत कोई शर्त स्वीकार नहीं की जायेगी।

22. बोली के संबंध में किसी प्रकार की जानकारी एवं स्पष्टता हेतु उपापन अधिकारी से सम्पर्क किया जा सकता है।

अतिरिक्त महानिदेशक,
जवाहर कला केन्द्र, जयपुर

भाग–2

TERMS AND CONDITIONS FOR AMC OF DG SETS:
FOR THE CONTRACTOR:
SPECIFIC TECHNICAL REQUIREMENTS FOR CUMMINS DG SETS:

- Service engineer shall carry out "A" "B", "C" & "D" checks on the engine, as per the check list and would correct/recommend/suggest improvement in operation and performance.
- To carry out/advise necessary repairs, adjustments of assemblies, sub-assemblies in order to keep the DG set in good working condition and assuring the trouble free performance of DG set.
- If the B check maintenance is due and consumables are arranged by Contractor, engineer shall carry out the B check maintenance the contractor in either writing or verbal as soon as engine clocks 225-250 hrs or as per the maintenance norms of the engine models or after 5 months, which-ever is earlier from the previous "B" check so as to ensure timely maintenance of the engine.

SPECIFIC TECHNICAL REQUIREMENTS FOR KIRLOSKAR DG SETS:

- To service the engine after every 250 hrs or six months whichever is earlier.

CONTRACTOR RESPONSIBILITY FOR ALL DG SETS:-

- Service engineers to visit the site once in a Forth right totaling to Twenty Four visits per year. The schedule of visits can be mutually decided. Agency to provide unlimited breakdown services, if required.
- Service engineer will carry scheduled preventative maintenance checks on Diesel Generating Sets as per the standard check list.
- Replace minor parts (i.e. Hoses and filters etc), sub-assemblies as and when required.
- Service Engineer during the visit will report on the performance or any other abnormality andinform parts requirement, shall also submit the report on work done.
- Attend emergency calls on priority (usually same day). However, if the engineer is required for any particular date and time, it would be the responsibility of the customer to intimate the contractor in advance.
- Major overhauling/top overhauling/PT Pump & Injectors calibration/replacement of major parts/rewinding of Alternator or repairs on breakdown of the DG set are to be included In case of the engine contract, the alignment & Alternator bearing greasing in your scope.
- Supply parts required for emergency on to be on priority.
- To per-intimate JKK on engine repairs and overhaul requirement based on engine performance parameters.

- Service Contract will automatically cease to exist in the event of change of ownership or location of the above-mentioned engine/s from said location.
- Checking of Battery specific gravity every month and the acid level once in Three month and top with distilled water if required. (Applicable for lead acid Battery only). Output voltage check and condition check to be carried out in SMF type battery.
- Checking charging alternator output voltage with respect to specifications.
- To check the condition of Diodes/ rotating rectifier assembly once in six month.
- Checking of all electrical connections for their proper tightness including chargingalternators and battery clamps.
- Engine Panel/PCC, Alternator will be covered in AMC.
- Replacement of all filters, refilling of engine oils, checking of all nuts and bolts tightness, correction of engine alternator alignment in case of complete Genset contract and replacement of rubber insert/block if broken to be carried out.
- To procure the spares as recommended by service engineer from authorized dealer /authorized OEM Source and should be original.
- To provide consumables, spares, fuel and skilled Technician by Contractor.]
- To follow Kirloskar Maintenance recommendations.
- Engine should be run in electrical Load mode.
- To acknowledge the work done by service engineer during his visit by signing the service report and can also put remarks in customer column.
- To keep the DG set and its room neat & clean.
- To maintain a log book which documents DG parameters like engine, alternator, load details and fuel and oil consumption. If any changes in the parameters are recorded, intimate to the contractor immediately.
- To stock the maintenance consumables recommended.
- Not to allow any unauthorized person to carryout repair/maintenance of the engines.
- To ensure quality recommended by company of engine input like air, fuel filters etc. lubricating oil and coolant.
- To ensure that average load factor on the DG set does not go beyond 70 to 80 on DG set.
- Procurement of recommended genuine lube oil and other consumables / spares would be the responsibility of the end user, should be procured from OEM authorized source and the contractor would be responsible for break- down due to bad quality / non genuine spares.
- To ensure the safe working environment for the service personnel

TERMS AND CONDITIONS:

JKK will provide the safe working conditions for the DG sets at any point of time, the same ifnot found safe to work/ risking lives, the contract will get terminated on its own.

Contractor will use the genuine spare parts.

EXCLUSION:

Only Diesel which are not covered under the scope of C-AMC, will be Provided by Jawahar Kala Kendra. Civil Nature work like whitewashing, floor repair ete done by J.K.K.

In addition to above Quarterly visits, carried out on DG set, the contractor shall be providing

unlimited breakdown visits on demand during the contract period. However the contractor

response time should be 30 minutes, and the site attending time should be within 04 hours. The cost of the Complete parts with Consumable items etc parts required from time to time shall be borne by Contractor during the contract period.

The labour charges for repairs of components like PT Pump, Injectors, Cylinder Head, Radiator, Turbocharger and any other major component shall be charged by contractor, also the contract include top overhauling & major overhauling in the scope of Annual Maintenance Contract.

D-Check activity will also be covered under the contract.

In case of synchronization panel and PLC panel, the same is in the scope of contract.

The repair and maintenance of acoustic enclosures, fuel tank and fuel gauges and cooling tower etc. will be in the purview of the contract.

Loading unloading and shifting charges included.

अतिरिक्त महानिदेशक (प्रशा0)

बिड़ दाता के हस्ताक्षर मय मोहर

भाग—3

बोली हेतु विशेष शर्ते

जवाहर कला केन्द्र के पावर हाउस स्थित स्थापित 250 के.वी.ए. कोयल मेक, डी.जी. सेट मय कन्ट्रोल सिस्टम/ए.एम.एफ पैनल से संबंधित उपकरणों का कॉम्प्रेहेंसिव वार्षिक अनुरक्षण एवं रखरखाव कार्य।

1. हेतु बोलियां आमंत्रण सूचना में वर्णित सूचना के अनुसार बोलीदाताओं द्वारा अपनी स्टेटस के संबंध में परिशिष्ठ व भरकर वित्तीय निविदा के साथ प्रस्तुत करना होगा। निर्माता द्वारा प्राधिकृत किये जाने के संबंध निर्माता द्वारा जारी प्रमाण पत्र/संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा।
2. राजस्थान में स्थापित सूक्ष्म एवं लघु उद्यम हेतु आरक्षण माल की बोली प्रस्तुत करने के लिए राजस्थान राज्य में पंजीकृत वे सूक्ष्म एवं लघु उद्यम की पात्र होगें जिन्हें सूक्ष्म एवं लघु उद्यम के रूप में उद्यमिता ज्ञापन।। अभिस्वीकृति (EM-II) अथवा उद्योग आधार मेमोरेण्डम प्रस्तुत करना होगा। उक्त उद्यमियों पर सूक्ष्म एवं लघु उद्यमियों हेतु वित्त विभाग द्वारा RTPP-2013 नियम—33 के तहत जारी अधिसूचना दिनांक 19.11.2015 के समस्त प्रावधान लागू होंगे एवं अधिसूचना में निर्देशित शपथ पत्र या छूट हेतु निर्देशित वांछित दस्तावेज प्रस्तुत करने पर ही इसे माना जायेगा। इसके अभाव में बोली निरस्त की जा सकती है।
3. <u>**बोली प्रतिभूति राशिः—**</u>

   i. बोली प्रतिभूति राशि उपापन की विषय वस्तु के प्राक्कलित मूल्य का 2 प्रतिशत होगी। बोली हेतु लागत राशि रू. 4.30 लाख का 2 प्रतिशत राशि रू. 8,600/- जमा कराने होंगे। राजस्थान के लघु उद्योगो की स्थिति में यह प्रदाय के लिए प्रदत मात्रा का 0.5 प्रतिशत होगी और लघु उद्योगो से भिन्न रूग्ण उद्योगो की दशा में जिनके मामले औद्योगिकी एवं वित्त पुनर्निर्माण बोर्ड के समक्ष लंबित है यह बोली के मूल्य का 01 प्रतिशत होगी।

   ii. केन्द्र सरकार एवं राजस्थान सरकार के विभाग / उपक्रमों / कंपनी / बोर्ड को बोली प्रतिभूति राशि जमा करने की आवश्यकता नही है। किन्तु बोली प्रतिभूति के स्थान पर, राज्य सरकार के विभागों और सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रित या प्रबंधित उपक्रमों, निगमों, स्वायत्त निकायों, रजिस्ट्रीकृत सोसाइटियों, सहकारी सोसाइटियों और केन्दीय सरकार या राजस्थान सरकार के सरकारी उपक्रम और कम्पनियों से बोली प्रतिभूति घोषणा ली जायेगी।

   iii. बोली प्रतिभूति का समपहरण बोली प्रतिभूति राशि का निम्नलिखित मामलों में समपहरण कर लिया जाऐगा।

   (क) जब बोलीदाता बोली खुलने के बाद किन्तु बोली को स्वीकार करने से पूर्व अपने प्रस्ताव को वापस लेता है या उसमें रूपान्तरण करता है।
   (ख) जब बोलीदाता विनिर्दिष्ट समय के भीतर करार निष्पादित नहीं करता है।
   (ग) जब बोलीदाता बोली स्वीकृति की सूचना के पश्चात् कार्य सम्पादन प्रतिभूति जमा नही कराता है।
   (घ) जब सफल बोलीदाता निर्धारित सप्लाई अवधि में सप्लाई प्रारम्भ नहीं करता।
   (ड) यदि बोली लगाने वाला अधिनियन और इन नियमों के अध्याय 6 में विनिर्दिष्ट बोली लगाने वालों के लिए विहित सत्यनिष्ठा की संहिता के किसी उपबंध को भंग करता है।
4. **दरे :—**

   i. बोली हेतु दर वित्तीय बोली परिशिष्ट 'स' में भरकर प्रस्तुत करना होगा। बोली में दरे शब्दों एवं अंको दोनो रूप में लिखी जाएं एवं इसमें कोई त्रुटि एवं उपरिलेखन नहीं होना चाहिए। किसी भी त्रुटि, शब्दों व अंकों में भिन्नता होने पर बोली निरस्त की दी जायेगी।

   ii. बोली में दर अंकित करते समय GST सम्मिलित कर भरी जावे। टैक्स में रियायत मिली हुई है तो इस बात का स्पष्ट उल्लेख करे एवं इसका प्रमाण भी प्रस्तुत करे। यदि सरकार द्वारा GST में कालान्तर में बढ़ोतरी या कमी की जाती है। तो उसी के अनुसार भुगतान किया जावेगा।

iii. बोली में दर अंकित करते समय किसी भी प्रकार की रिबेट/छूट घटाकर शुद्ध दरें ही दी जायें। आपूर्ति एवं इन्सटालेशन से संबंधित अन्य आवश्यक आईटम व्यय एवं भाडे इत्यादि को दरों में सम्मिलित माना जायेगा।

iv. सप्लाई के समय अग्रिम भुगतान की शर्त स्वीकार्य नहीं होगी। अतः बोली में दर अंकित करते समय अग्रिम भुगतान की शर्त नहीं दी जावे। यदि अग्रिम भुगतान की शर्त लाई जाती है तो ऐसी बोली को सशर्त बोली मानकर निरस्त कर दिया जाएगा।

v. बोली दरें खुलने के पश्चात् यदि कोई बोलीदाता अपने आप दर में कमी करता है तो वह प्रस्तावों में उपान्तरण माना जावेगा। जिसके कारण उसकी बोली निरस्त कर बोली प्रतिभूति राशि जब्त कर ली जावेगी।

vi. बोलीदाता द्वारा वित्तीय बोली में अंकित पूर्ण मात्रा हेतु बोली दी जावेगी। बोली सूचना में अंकित मात्रा से कम मात्रा हेतु दी गई बोली मान्य नहीं होगी। जिसके आधार पर बोली निरस्त कर दी जावेगी।

5. **स्पेसिफिकेशन :–**

i. कार्य बोली एवं बोली शर्तों में वर्णित निर्धारित स्पेसिफिकेशन/मापदण्ड/सैंपल के पूर्णतया अनुरूप होगी। ऐसे मामलों में जहां कोई स्टैण्डर्ड या अनुमोदित नमूना या स्पेसिफिकेशन नहीं हो, उस स्थिति में सप्लायर द्वारा भारत में उपलब्ध अति उत्तम गुणवता एवं विवरण की वस्तु सप्लाई की जावेगी। कार्य की गुणवत्ता एवं स्पेसिफिकेशन के संबंध में अतिरिक्त महानिदेशक, जवाहर कला केन्द्र, जयपुर का निर्णय अंतिम होगा तथा लिया गया निर्णय बोलीदाताओं के लिए अंतिम एवं मान्य होगा।

ii. यदि कार्य की जाने वाली वस्तुएँ निर्धारित स्तर के अभाव में अस्वीकार कर दी जाती है तो अस्वीकृत माल के बदले निर्धारित स्तर की वस्तु देने की समस्त जिम्मेदारी बोलीदाता की होगी तथा बोलीदाता को अस्वीकृत किये माल के बदले निर्धारित स्तर का माल बिना अतिरिक्त कीमत के क्रय आदेश में निर्धारित सप्लाई अवधि में ही देना होगा।

iii. बोलीदाता द्वारा परिशिष्ट 'स' में अंकित स्पेसिफिकेशन के अनुसार ही बोली प्रस्तुत की जावेगी। अन्य स्पेसिफिकेशन के आधार पर प्रस्तुत बोली निरस्त कर दी जावेगी।

6. **निरीक्षण :– I)** यह सुनिश्चित करने के लिए कार्य का निरीक्षण व जांच विभागीय तकनीकी अधिकारी द्वारा की जावेगी कि वे निर्धारित स्पेसिफिकेशन एवं गुणवता के अनुरूप है या नहीं।

ii) रद्द करना :– निरीक्षण या परीक्षण के दौरान जो वस्तुएँ अनुमोदित नही की जायेगी उन्हें रद्द किया जावेगा तथा बोलीदाता द्वारा क्रय आदेश में निर्धारित सप्लाई अवधि में ही स्वयं की लागत पर उन्हें बदला जावेगा।

7. **कार्य पूर्णता अवधि :–**

i. फर्म को कार्यादेश की दिनांक से 2 वर्ष तक कार्य करना होगा। फर्म निर्धारित समयावधि में यदि कार्य करने में असफल रहती है तथा निर्धारित अवधि पूर्ण होने से पूर्व ही कार्य अवधि बढ़वाना चाहती है तो उसे उन बाधाओं का उल्लेख करते हुए जिनके कारण कार्य अवधि बढ़वाई जा रही है, लिखित में आवेदन करना होगा। सक्षम प्राधिकारी द्वारा कार्य अवधि बढाने या नहीं बढ़ाने का निर्णय लिया जावेगा।

ii. निर्धारित की गई कार्य अवधि के बराबर अवधि तक परिनिर्धारित क्षति सहित या रहित, कार्य अवधि में अधिकतम अभिवृद्धि की जा सकती है। किन्तु जिन मामलों में फर्म द्वारा सामग्री विदेशों से आयात करके सप्लाई की जानी है या किसी सिस्टम से संबंधित, सामग्री सप्लाई किए जाने के बाद, इंस्टॉलेशन किया जाना है वहां प्रकरण के गुणावगुण के आधार पर संज्ञान में लाई गई बाधाओं से संतुष्ट होने पर सक्षम प्राधिकारी सप्लाई अवधि आगे भी बढा सकेंगे।

8. **गारण्टी/वारण्टी** – निविदा दाता फर्म को प्रत्येक आइटम की गारण्टी/वारण्टी नियमानुसार देनी होगी।

i. यदि उपापन संस्था परिस्थितियों में परिवर्तन के कारण कोई कार्य का उपापन नहीं करती है या विनिर्दिष्ट मात्रा से कम उपाप्त करती है तो बोली लगाने वाला किसी भी दावें या प्रतिकर का हकदार नहीं होगा।

ii. यदि मूल आदेश सीमित प्रतियोगी बोलियां आमंत्रित करने के पश्चात् दिया गया है तो अतिरिक्त मदों या अतिरिक्त मात्रा के लिए पुनरादेश संविदा में दी गई दरों और शर्तों पर दिये जा सकेंगे। प्रदायगी या कार्य पूर्ण करने की अवधि भी आनुपातिक रूप से बढ़ाई जा सकेगी। पुरादेश किसी भी स्थिति में मूल संविदा के माल या सेवाओं के मूल का 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

iii. अन्तिम कार्य अवधि समाप्त होने की दिनांक से एक माह के बाद कार्य अवधि के लिए पुनरादेश नहीं दिये जायेंगे। यदि बोलीदाता ऐसी कार्य करने में असमर्थ रहता है तो विभाग कार्य की व्यवस्था सीमित बोली द्वारा या अन्य प्रकार से करने के लिए स्वतंत्र होगा तथा जो भी अतिरिक्त लागत आएगी उसकी वसूली बोलीदाता से की जायेगी।

9. **करार :–**

i. बोली में अंकित कार्य हेतु सफल बोलीदाता को बोली स्वीकृति के पत्र की दिनांक से अधिकतम 15 दिवस में एक करार पत्र निष्पादित करना आवश्यक है। अनुबन्ध करार के पश्चात् कार्य आदेश दिवा जावेगा। करार पत्र के निर्धारित प्रारूप में एवं निर्धारित अवधि में अनुबंध निष्पादन नही करने पर बोली निरस्त योग्य है।

ii. बोलीदाता द्वारा निर्धारित प्रारूप में राशि रूपये 500/- निर्धारित मूल्य अनुसार नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर एक करार पत्र निष्पादित करना होगा।

10. **कार्य संपादन प्रतिभूति राशि :–**

i. कार्य सम्पादन प्रतिभूति : कार्य सम्पादन प्रतिभूति की अभ्यर्थना राज्य सरकार के विभागों और ऐसे उपक्रमों, निगमों, स्वायत्त निकायों, रजिस्ट्रीकृत सोसाइटियों, सहकारी सोसाइटियों जो राज्य सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण या प्रबन्ध में हो और केन्द्रीय सरकार के उपक्रमों के सिवाय समस्त सफल बोली लगाने वालों से ली जायेगी। तथापि, उनसे एक कार्य सम्पादन प्रतिभूति घोषणा ली जायेगी। राज्य सरकार किसी विशिष्ठ उपापन या उपापन के किसी प्रवर्ग के मामले में कार्य सम्पादन प्रतिभूति के उपबंध को शिथिल कर सकेगी।

ii. यदि सफल बोलीदाता उस आईटम के लिए राजस्थान के सूक्ष्म एवं लघु उद्यम के बतौर जो उधोग विभाग, राजस्थान, जयपुर द्वारा उद्यमिता ज्ञापन। अभिस्वीकृति अथवा उद्योग आधार मेमोरेण्डम प्राप्त किए हुए हो तो उस वस्तु की लागत मूल्य के 1 प्रतिशत के बराबर कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि जमा कराई जावेगी।

iii. सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों से भिन्न रूग्ण उद्योगों जिनके मामले औधौगिक और वित्तीय पुननिर्माण बोर्ड के समक्ष लम्बित है, के मामले में वस्तु की लागत मूल्य के 2 प्रतिशत के बराबर होगी।

iv. सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के अलावा अन्य सफल बोलीदाता द्वारा उस वस्तु के लागत मूल्य के 5 प्रतिशत के बराबर कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि जमा कराई जावेगी।

v. इस राशि पर विभाग द्वारा ब्याज का भुगतान नहीं किया जाऐगा।

vi. कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि अतिरिक्त महानिदेशक, जवाहर कला केन्द्र, के नाम से निम्न रूप में दी जा जकेगी :–

(क) किसी अनुसचित बैंक के बैंक ड्राफ्ट या बैंकर चैक द्वारा।

(ख) राष्ट्रीय बचत पत्र और राजस्थान में किसी डाकघर द्वारा अल्प बचत के प्रोन्नयन के लिए राष्ट्रीय बचत स्कीमों के अधीन जारी कोई अन्य स्क्रिप्ट, लिखित यदि वह सुसंगत नियमों के अधीन बंधक रखी जा सकती हो। बोली के समय वे उसके समर्पण मूल्य पर स्वीकार की जायेगी और मुख्य डाकपाल के अनुमोदन से औपचारिक रूप से उपापन संस्था के नाम अंतरित की जायेगी।

(ग) किसी अनुसूचित बैंक की गारंटी/गारंटियां जो जारी करने वाले बैंक से सत्यापित करायी जायेगी।

(घ) किसी अनुसूचित बैंक की नियम जमा रसीद (एफडीआर)।
यह बोली लगाने वाले के खाते से उपापन संस्था के नाम जारी होगी और बोली लगाने वाले द्वारा अग्रिम रूप से उन्मोचित की जायेगी। उपापन संस्था नियत जमा रसीद को स्वीकार करने के पूर्व यह सुनिश्चित करेगी कि बोली लगाने वाला बैंक की ओर से उपापन संस्था को संबंधित बोली लगाने वाले की सहमति की अपेक्षा के बिना, नियत जमा रसीद की मांग पर संदाय/समयपूर्व संदाय करने का वचन जमा FDR ऐसी नियत जमा पर अर्जित व्याज के साथ समपहत की ली जायेगी।

(ड) खण्ड 'ख' से 'घ' के प्रारूप में विनिर्दिष्ट कार्य सम्पादन प्रतिभूति वारन्टी बाध्यताओं और रखरखाव और दोष दायित्व कालावधि को सम्मिलित करते हुए बोली लगाने वाले की समस्त संविदांत बाध्यताओं के पूरा होने की तारीख से नब्बे दिवस की कालावधि के लिए विधि मान्य रहेगी।

अनुबंध पत्र के साथ गिरवी की हुई एन.एस.सी पास बुक डिफेंस बचत पत्र/किसान पत्र आदि प्रस्तुत करना आवश्यक है।

vii. संविदा के सन्तोषजनक रूप से पूर्ण कर दिये जाने के बाद या गारन्टी अवधि (यदि कोई हो तो) की समाप्ति के बाद, जो भी बाद में हो, तथा इससे सन्तुष्ट हो जाने पर कि बोलीदाता के विरूद्ध कोई देय बकाया नही है, नियमानुसार कार्य सम्पादन प्रतिभूति का प्रतिदाय किया जाएगा।

(क) कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशिः कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि का निम्नांकित मामलों में समपहरण पूर्ण या आंशिक रूप से किया जाएगाः–

(ख) जब संविदा की शर्तों का उल्लंघन किया गया हो।

(ग) जब बोलीदाता सम्पूर्ण सप्लाई सन्तोषजनक ढंग से करने में असफल रहा हो।

(घ) जब बोलीदाता सप्लाई आदेश के अनुसार निर्धारित सप्लाई अवधि में माल की सप्लाई आरम्भ करने में असफल रहता हो। सुरक्षा राशि में समपहरण करने के मामलों में युक्तियुक्त समय पूर्व नोटिस दिया जाएगा। इस संबंध में उपापन संस्था का निर्णय अंतिम होगा।

viii. करार पत्र को पूर्ण करने एवं उस पर स्टाम्प लगाने तथा सुरक्षा राशि को गिरवी करने में हुआ व्यय बोलीदाता द्वारा वहन किया जाऐगा तथा विभाग को करार की एक निषादित स्टाम्प शुदा प्रतिपर्ण बोलीदाता द्वारा निःशुल्क प्ररतुत की जाएगी।

11. भुगतान :–

i. किसी भी प्रकार का अग्रिम स्वीकृत नहीं किया जायेगा।

ii. सफल फर्म द्वारा किये गये कार्य के संबंध में, सामान्य वितीय एवं लेखा नियम के अनुसार उचित प्रारूप में बिल तीन प्रतियों में प्रस्तुत करने पर भुगतान त्रैमासिक आधार पर किया जाएगा।

iii. कार्य का तकनीकी परीक्षण एवं सत्यापन विभाग के तकनीकी अधिकारी (सहायक अभियन्ता) द्वारा किए जाने एवं संतोषजनक पाए जाने पर भुगतान किया जायेगा।

12. परिनिर्धारित क्षति (Liquidated Damages) :–

(क) भाग 2 में वर्णित शर्तों के अनुसार कार्य में विलंब अथवा दिये गये निर्देशों के अनुसार कार्य नहीं करने पर कार्य की मात्रा अनुसार 5–10 प्रतिशत तक शासति आरोपित की जाएगी। इस हेतु अंतिम निर्णय उपापन संस्था का होगा।

(ख) यदि बोलीदाता किन्हीं बाधाओं के कारण संविदान्तर्गत कार्य को पूरा करने के लिए प्रदायगी अवधि में वृद्धि चाहता है, तो वह लिखित में उस प्राधिकारी को आवेदन करेगा जिसने कार्य आदेश दिया है। किन्तु बोलीदाता द्वारा यह आवेदन बाधा के घटित होने पर तुरन्त किया जाएगा न कि कार्य पूर्ण होने की निर्धारित तारीख के बाद।

(ग) यदि कार्य करने में उत्पन्न हुई बाधा बोलीदाता के नियन्त्रण से परे कारणों से हुई (हो, तो क्रेताधिकारी प्रदायगी अवधि में परिनिर्धारित क्षति सहित या रहित वृद्धि कर सकेगा।

नोट– कार्य की अन्तिम तिथि को राजपत्रित अवकाश होने पर आगामी कार्य दिवस को मध्यान्ह पूर्व कार्य करने पर परिनिर्धारित क्षति की वसूली नहीं की जावेगी।

13. बोली शर्तों के अतिरिक्त कोई शर्ते स्वीकार नहीं की जाएगी। यदि बोलीदाता ऐसी शर्तें आरोपित करता है, जो बोली शर्तों के अतिरिक्त है या उनके विरोध मे है, तो उंसकी बोली को संक्षिप्त रूप में कार्यवाही कर रद्द कर दिया जाएगा। किसी भी स्थिति में बोलीदाता द्वारा दी गई शर्तों को स्वीकार किया हुआ नही समझा जाएगा जब तक कि विभाग द्वारा जारी किये गए बोली स्वीकृति पत्र में विशेष रूप से उसको उल्लेखित नहीं कर दिया गया हो।

14. विभाग के पास किसी भी बोली को स्वीकार करने, बिना कारण बताये रद्द करने या बोली सूचना में अंकित किसी भी कार्य को एक से अधिक सप्लायर को वितरित करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।

15. समस्त विधिक कार्यवाही, यदि संस्थित किया जाना आवश्यक हो तो, न्यायालयों में ही पेश की जाएगी, अन्यत्र पेश नहीं की जाएगी। किसी भी वाद का न्यायक्षेत्र जयपुर होगा।

16. बोली प्रस्तुत करने के बाद बोली के सम्बन्ध में बोलीदाता/उसके द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि जिसके हस्ताक्षर प्रमाणित किए हुये है, द्वारा किये गये पत्र व्यवहार ही स्वीकार्य होगे।

17. मूल बोली प्रपत्रों के अतिरिक्त जिन दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियाँ चाही जा रही है वह स्वयं बोलीदाता या उसके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा प्रमाणित की जानी आवश्यक है अन्यथा उक्त प्रतिलिपि/प्रतिलिपियां मान्य नहीं होगी।

18. बोली के साथ सभी वांछित दस्तावेज/प्रमाण पत्र बोली जमा कराने की अंतिम तिथि तक वैध होने चाहिए।

19. बोलीदाता फर्म द्वारा मजबूत एवं पुष्ट आधार प्रस्तुत करने के बावजूद विभागीय उपापन संस्था द्वारा प्रकरण विशेष में गुणावगुण के आधार पर उचित समझने पर अथवा किसी प्रक्रियात्मक त्रुटि के कारण प्रतिस्पर्धा बाधित होना पाए जाने पर बोलीदाता से वांछित दस्तावेज एवं स्पष्टीकरण, RTPP Rules-2013 के प्रावधानुसार प्राप्त करने का निर्णय लिया जा सकता है।

20. अपील :— बोली में बोलीदाता उपापन संस्था के किसी निर्णय, कार्यवाही से व्यथित है। तो वह Rajasthan Transparency in Public Procurement Act 2012 के अध्याय 3 के प्रावधानों के अनुसार अपील दाखिल कर सकेगा।

1. प्रथम अपील अधिकारी— महानिदेशक, जवाहर कला केन्द्र, जयपुर

2. द्वितीय अपील अधिकारी— प्रमुख शासन सचिव आर्ट एण्ड कल्चर।

मैने/हमने उपरोक्त समस्त शर्तों को ध्यानपूर्वक पढ़कर अच्छी तरह समझ लिया पृष्ठ पर हस्ताक्षर कर दिये है तथा समस्त शर्तों के पालन हेतु सहमत हूँ/ है।

हस्ताक्षर बोलीदाता मय मोहर
(बोली की समस्त शर्तें स्वीकार करने के प्रमाण स्वरूप)

परिशिष्ठ – "अ"

बोलीदाताओं द्वारा घोषणा

(on the letter head of firm)

मैं / हम घोषणा करता हैं/ करते है कि मैनें / हम बोली की शर्तो एवं तकनीकी मापदण्डों के अनुसार कार्य की तकनीकी योग्यता एवं वांछित पंजीयन रखते हैं। मेरे/हमारे द्वारा विभागीय परिशिष्ट 'अ,ब,स तथा बोली सूचना को पूर्ण रूप से पढकर समझ लिया है। मेरे/हमारे द्वारा उन शर्तो की पूर्ण पालना की जाएगी/करूंगा/करेगे। और मैं/हम उपरोक्त को अक्षरशः स्वीकार करते है।

मुझे / हमारी फर्म को किसी भी राजकीय संस्था द्वारा काली सूची में नहीं डाला गया है और हमें गत तीन वर्षो मे संबंधित कार्य हेतु बहिष्कृत भी नहीं किया गया है।

यदि यह घोषणा असत्य पाई जाए जो किसी भी अन्य कार्यवाही, जो की जा सकती है, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना मेरी/हमारी बोली प्रतिभूति राशि का समपहरण कर लिया जाए तका बोली को जिस सीमा तक स्वीकार किया गया है, रद्द कर दिया जाए।

बोलीदाता के हस्ताक्षर
मय मोहर

परिशिष्ठ – "ब"

जवाहर कला केन्द्र

जे.एल.एल.मार्ग, जयपुर–302004

बिड सूचना संख्या /2024–25

क्र.सं.	विवरण	विवरण	संलग्न दस्तावेज का विवरण (दस्तावेज की सत्यापित प्रति संलग्न करायें)
1	फर्म/संस्था/बिड दाता का नाम		
2	फर्म/संस्था/बिड दाता का अधिकृत पता		
3	फर्म/संस्था/बिड दाता के अधिकृत व्यक्ति का नाम		
4	मोबाईल नं. /ईमेल आई.डी.		
5	फर्म/संस्था/बिड दाता का पैन कार्ड नं.		
6	बोली प्रपत्र का शुल्क का विवरण		
7	बोली प्रतिभूति राशि का विवरण		
8	फर्म/संस्था/बिड दाता के बैंक खाते का विवरण		
	बैंक का नाम		
	शाखा का नाम		
	खाता संख्या		
	आई..एफ.सी. कोड		
9.	बोली प्रपत्र में निर्देशित परिशिष्ट–अ.ब.स. तथा annexure A, B, C, D		
10	जी.एस.टी. पंजीयन संख्या		
11	सरकारी विभागो/सरकार उपक्रमों में विगत तीन वर्षों (2021–22, 2022–23, 2023–24) में कार्य अनुभव का विवरण (निविदा की शर्तो के अनुसार)		
12	गत तीन वर्षों (2021–22, 2022–23, 2023–24) में औसत वार्षिक टर्न ओवर राशि रू. 12.00 लाख (निविदा की शर्तो के अनुसार)		
13	MSME में यदि पंजीकृत है तो उसका प्रमाण–पत्र		
14	कार्यलय इलेक्ट्रिक इंसपेक्टर विभाग द्वारा जारी लाइसेंस प्रमाण–पत्र (ए– क्लास) की प्रति संलग्न करावे।		

नोट :– तालिका अनुसार आवश्यक दस्तावेज संलग्न नहीं करने पर बोलीदाता को तकनीकी रूप से अयोग्य घोषित करके वित्तीय बोली को अस्वीकार कर दिया जायेगा।

बिडदाता के हस्ताक्षर
मोहर व दिनांक सहित

Annexure A

(हस्ताक्षरित व मोहर लगाकर बिड के साथ संलग्न करें)

Compliance with the Code of Integrity and No Conflict of Interest

Any person participating in a procurement process shall:-

(a) not offer any bribe, reward or gift or any material benefit either directly or indirectly in exchange for an unfair advantage in procurement process or to otherwise influence the procurement process;

(b) not misrepresent or omit that misleads or attempts to mislead so as to obtain a financial or other benefit or avoid an obligation;

(c) not indulge in any collusion, Bid rigging or anti-competitive behavior to impair the transparency. Fairness and progress of the procurement process;

(d) not misuse any information shared between the procuring Entity and the Bidders with an intent to gain unfair advantage in the procurement process;

(e) not indulge in any coercion including impairing or harming or threatening to do the same, directly or indirectly, to any party or to its property to influence the procurement process;

(f) not obstruct any investigation or audit of a procurement process;

(g) disclose conflict of interest, if any; and

(h) disclose any previous transgressions with any Entity in India or any other country during the last three years or any debarment by any other procuring entity.

Conflict of Interest:-

The Bidder participating in a bidding process must not have a Conflict of Interest.

A. Conflict of Interest is considered to be a situation in which a party has interests that could improperly influence that party's performance of official duties or responsibilities, contractual obligations, or compliance with applicable laws and regulations.

   i. A Bidder may be considered to be in Conflict of Interest with one or more parties in a bidding process if, including but not limited to:

      a. have controlling partners/ shareholders in common; or
      b. receive or have received any direct or indirect subsidy from any of them; or
      c. have the same legal representative for purposes of the Bid; or
      d. have a relationship with each other, directly or through common third parties, that puts them in a position to have access to information about or influence on the Bid of another Bidder, or influence the decisions of the Procuring Entity regarding the bidding process; or
      e. the Bidder participates in more than one Bid in a bidding process. Participation by a Bidder in more than one Bid will result in the disqualification of all Bids in which the Bidder is involved. However, this does not limit the inclusion of the same subcontractor, not otherwise participating as a Bidder, in more than one Bid; or
      f. the Bidder or any of its affiliates participated as a consultant in the preparation of the design or technical specifications of the Goods, Works or Services that are the subject of the Bid; or
      g. Bidder or any of its affiliates has been hired (or is proposed to be hired) by the Procuring Entity as engineer-in-charge/consultant for the contract,

Annexure B

(हस्ताक्षरित व मोहर लगाकर बिड के साथ संलग्न करें)

Declaration by the Bidder regarding Qualifications

In relation to my/our Bid submitted to..........................for procurement of.............................. in response to their Notice Inviting Bids No. .... Dated......................... I/we hereby declare under Section 7 of Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012, that:

1. I/we possess the necessary professional, technical, financial and managerial resources and competence required by the Bidding Document issued by the Procuring Entity;
2. I/we have fulfilled my/our obligation to pay such of the taxes payable to the Union and the State Government or any local authority as specified in the Bidding Document;
3. I/we are not insolvent, in receivership, bankrupt or being wound up, not have my/our affairs administered by a court or a judicial officer, not have my/our business activities suspended and not the subject of legal proceedings for any of the foregoing reasons;
4. I/we do not have, and our directors and officers not have, been convicted of any criminal offence related to my/our professional conduct or the making of false statements or misrepresentations as to my/our qualifications to enter into a procurement contract within a period of three years preceding the commencement of this procurement process, or not have been otherwise disqualified pursuant to debarment proceedings;
5. I/we do not have a conflict of interest as specified in the Act, Rules and the Bidding Document, which materially affects fair competition;

Date:
Place:

Signature of bidder
Name:
Designation:
Address:

Annexure-C

(हस्ताक्षरित व मोहर लगाकर बिड के साथ संलग्न करें)

Grievance Redressal during Procurement Process

The Designation and address of the First Appellate Authority is Director General, Jawahar Kala Kendra, Jaipur.
The Designation and address of the Second Appellate Authority is Principal Secretary/Secretary/Art & Cultural Deptt, Jaipur.

1) **Filing an appeal**

If any Bidder or prospective bidder is aggrieved that any decision, action or omission of the Procuring Entity is in contravention to the provisions of the Act or the Rules or the Guidelines issued there under, he may file an appeal to First Appellate Authority, as specified in the Bidding Document within a period of ten days from the date of such decision or action, omission, as the case may be, clearly giving the specific ground or grounds on which he feels aggrieved:

Provided that after the declaration of a Bidder as successful the appeal may be filed only by a Bidder who has participated in procurement proceedings:

2) The officer to whom an appeal is filed under para (I) shall deal with the appeal as expeditiously as possible and shall endeavour to dispose it of within thirty days from the date of the appeal.

3) If the officer designated under para (1) fails to dispose of the appeal filed within the period specified in para (2), or if the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity is aggrieved by the order passed by the First Appellate Authority, the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity, as the case may be, may file a second appeal to Second Appellate Authority specified in the Bidding Document in this behalf within fifteen days from the expiry of the period specified in para (2) or of the date of receipt of the order passed by the First Appellate Authority, as the case may be.

4) **Appeal not to lie in certain cases**

No appeal shall lie against any decision of the Procuring Entity relating to the following matters, namely:-

(a) Determination of need of procurement;
(b) Provisions limiting participation of Bidders in the Bid process;
(c) The decision of whether or not to enter into negotiations;
(d) Cancellation of a procurement process;
(e) Applicability of the provisions of confidentiality.

5) **Form of Appeal**

(a) An appeal under para (I) or (3) above shall be in the annexed Form along with as many copies as there are respondents in the appeal.
(b) Every appeal shall be accompanied by an order appealed against, if any, affidavit verifying the facts stated in the appeal and proof of payment of fee.
(c) Every appeal may be presented to First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, in person or through registered post or authorised representative.

6) **Fee for filing appeal**

(a) Fee for first appeal shall be rupees two thousand five hundred and for second appeal shall be rupees ten thousand, which shall be non-refundable.
(b) The fee shall be paid in the form of bank demand draft or banker's cheque of a Scheduled Bank in India payable in the name of Appellate Authority concerned.

7) **Procedure for disposal of appeal**

(a) The First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, upon filing of appeal, shall issue notice accompanied by copy of appeal, affidavit and documents, if any, to the respondents and fix date of hearing.

(b) On the date fixed for hearing, the First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, shall,

i) Hear all the parties to appeal present before him; and

ii) Peruse or inspect documents, relevant records or copies thereof relating to the matter.

(c) After hearing the parties, perusal or inspection of documents and relevant records or copies thereof relating to the mailer, the Appellate Authority concerned shall pass an order in writing and provide the copy of order to the parties to appeal free of cost.

(d) The order passed under sub-clause (c) above shall also be placed on the State Public Procurement Portal.

FORM No. I

[See rule 83]

Memorandum of Appeal under the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012

Appeal No. .... of .... Before the .... (First/Second Appellate Authority)

1. Particulars of appellant:
   (i) Name of the appellant:
   (ii) Official address, if any:
   (iii) Residential address:

2. Name and address of the respondent(s)
   (i)
   (ii)
   (iii)

3. Number and date of the order appealed against and name and designation of the officer/authority who passed the order (enclose copy) or a statement of a decision, action or omission of the Procuring Entity in contravention to the provisions of the Act by which the appellant is aggrieved:
4. If the Appellant proposes to be represented by a representative, the name and postal of the representative:
5. Number of Affidavits and documents enclosed with the appeal:
6. Grounds of appeal :
   ....
   .... (Supported by an affidavit)

7. Prayer :
   ....
   ....
   ....

Place ....
Date ....

Annexure - D

(हस्ताक्षरित व मोहर लगाकर बिड के साथ संलग्न करें)

Additional Conditions of Contract

1. **Correction of arithmetical errors**

   Provided that a Financial Bid is substantially responsive, the Procuring Entity will correct arithmetical errors during evaluation of Financial Bids on the following basis:

   i. if there is a discrepancy between the unit price and the total price that is obtained by multiplying the unit price and quantity, the unit price shall prevail and the total price shall be corrected, unless in the opinion of the Procuring Entity there is an obvious misplacement of the decimal point in the unit price, in which case the total price as quoted shall govern and the unit price shall be corrected;

   ii. if there is an error in a total corresponding to the addition or subtraction of subtotals, the subtotals shall prevail and the total shall be corrected; and

   iii. if there is a discrepancy between words and figures, the amount in words shall prevail, unless the amount expressed in words is related to an arithmetic error, in which case the amount in figures shall prevail subject to (i) and (ii) above. If the Bidder that submitted the lowest evaluated Bid does not accept the correction of errors, its Bid shall be disqualified and its Bid Security shall be forfeited or its Bid Securing Declaration shall be executed.

2. **Procuring Entity's Right to Vary Quantities**

   (i) At the time of award of contract, the quantity of Goods, works or services originally specified in the Bidding Document may be increased or decreased by a specified percentage, but such increase or decrease shall not exceed twenty percent, of the quantity specified in the Bidding Document. It shall be without any change in the unit prices or other terms and, conditions of the Bid and the conditions of contract.

   (ii) The Procuring Entity does not procure any subject matter of procurement or procures less than the quantity specified in the Bidding Document due to change in circumstances, the Bidder shall not be entitled for any claim or compensation except otherwise provided in the Conditions of Contract.

   (iii) In case of procurement of Goods or services, additional quantity may be procured by placing a repeat order on the rates and conditions of the original order. However, the additional quantity shall not he more than 25% of the value of Goods of the original contract and shall be within one month from the date of expiry of last supply. If the service provider fails to do so, the Procuring entity shall be free to arrange for the balance supply by limited Bidding or otherwise and the extra cost incurred shall be recovered from the service provider.

3. **Dividing quantities among more than one Bidder at the time of award (In case of procurement of Goods/services)**

   As a general rule all the quantities of the subject matter of procurement shall be procured from the Bidder, whose Bid is accepted. However, when it is considered that the quantity of the subject matter of procurement to be procured is very large and it may not be in the capacity of the Bidder, whose Bid is accepted, to deliver the entire quantity or when it is considered that the subject matter of procurement to be procured is of critical and vital nature, in such cases, the quantity may be divided between the Bidder, whose Bid is accepted and the second lowest Bidder or even more Bidders in that order, in a fair. Transparent and equitable manner at the rates of the Bidder, whose Bid is accepted.

परिशिष्ट – स
वित्तीय दर
अलग लिफाफे में प्रस्तुत करे।

वित्तीय बोली प्रपत्र

कार्य का नामः– केन्द्र के पावर हाउस स्थित स्थापित 250 के.वी.ए. कोयल मेक, डी.जी. सेट मय कन्ट्रोल सिस्टम/ए.एम.एफ पैनल से संबंधित उपकरणों का कॉम्प्रेहेंसिव वार्षिक अनुरक्षण एवं रखरखाव कार्य मय समस्त सामग्री सहित। (जहाँ है जैसी स्थिति में)

S.No.	Description	Qty	एक मुश्त वार्षिक दरें मय जी.एस.टी. सहित
1	Comprehensive Annual maintenance of 250 KVA including servicing of fuel filter coolant lubricating oil etc. of Diesel Generating set (1 Service in 6 Month) as per OEM guidelines and maintenance manual complete in all respect (Including replacement of batteries & hardware parts as and when required. without Diesel. (With All Materials.)	1	
2	Comprehensive Annual maintenance of AMF Panel including inverter with battery Connection, MCCBs. Contractors, Bus Bar, all electrical and electronics items in all respect for panel and all controls connection & cables, as per site required. (With All Materials)	1	
3	Comprehensive Annual maintenance of 400 A Change over Switch including connection, bus bar with all incoming and outgoing LT cables in all respect as per site required. (With All Materials)	3	
	Total		

विशेष शर्तेः–

1. न्यूनतम बोली दाता का निर्धारण पर यूनिट दर कॉलम में भरी गई दरों से तुलना के आधार पर किया जाएगा।
2. दरे अंकों एवं शब्दों में समान होनी चाहिए।
3. दरों में किसी भी प्रकार की विषमता त्रुटि होने पर बोली को निरस्त माना जाएगा।
4. कार्य करने वाली फर्म के पास तकनीक संबंधी सामग्री एवं इंजिनीयरों की देखरेख में कार्य किया जाना होगा।
5. उक्त सामग्री/कार्य जवाहर कला केन्द्र जयपुर (एफ. ओ. आर) होगी।

बिड़ दाता के हस्ताक्षर मय मोहर
पुरा पता सहित

अतिरिक्त महानिदेशक (प्रशा0)
जवाहर कला केन्द्र